संख्या–4121/33–3–2022–

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक– 06 नवम्बर, 2022

विषयः– प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु महिला सभा तथा बाल सभा के आयोजन, बैठक एवं क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के सम्बन्ध में अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डी.ओ.नं0–एम–11015/205/2022–सीबी दिनांक 01 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व महिला सभा तथा बाल सभा आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–डी.ओ.नं0–पी.ए./139/2019–सी.पी.एम.यू. दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा भी यह निर्देश राज्यों को दिये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण एवं अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु समुदाय का सहयोग एवं भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा **"पोषण पंचायत"** आयोजित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

2– सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (Localization of Sustainable Development Goals- LSDGs) हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर गठित एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव के फलस्वरूप भारत सरकार ने सतत् विकास के 17 लक्ष्यों को ग्राम स्तर पर स्थानीयकरण के लिए लक्ष्यों को निम्न 9 थीम/विषयों में संयोजित किया है, साथ ही पंचायतों के द्वारा चिन्हित विषयों पर कार्य करने की रूपरेखा तैयार की गयी है:–

विषय (Theme) 01 : गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत गॉव
विषय (Theme) 02 : स्वस्थ गॉव
विषय (Theme) 03 : बाल हितैषी गॉव
विषय (Theme) 04 : पर्याप्त जल युक्त गॉव
विषय (Theme) 05 : स्वच्छ और हरा–भरा गॉव
विषय (Theme) 06 : आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गॉव
विषय (Theme) 07 : सामाजिक रूप से सुरक्षित और न्यायसंगत गॉव
विषय (Theme) 08 : सुशासन वाला गॉव

Delhi-Server/GO

विषय (Theme) 09 : महिला हितैषी गॉव

3— उक्त संयोजित 09 विषयों में से तीसरा विषय है 'बाल हितैषी गाँव', जिसका विज़न (परिकल्पना) है "यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने।" परिकल्पना की प्राप्ति हेतु पंचायत तथा बच्चों की सहभागिता आवश्यक है, जिसमें बाल–सभा की विशेष भूमिका है। नौवां विषय है 'महिला हितैषी गाँव', जिसका विज़न (परिकल्पना) है "लैंगिक समानता को प्राप्त करना, समान अवसर प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।" परिकल्पना की प्राप्ति हेतु महिलाओं के विकास एवं ग्राम पंचायत मे उनकी सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। महिला व किशोरी स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, रोजगार एवं सहभागिता के मानकों मे सुधार हेतु अतिरिक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

4— ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत विकास नियोजन के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan& GPDP) संबंधी दिशा–निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किये जाने के बाद इन दिशा–निर्देशों के कुछ प्रमुख पहलू महिला सशक्तीकरण एवं बाल संरक्षण के लिये प्रासंगिक हो गए हैं। इन संशोधनों में जी.पी.डी.पी. का बजट बनाने, नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं तथा बाल सभाओं का आयोजन कराना सम्मिलित है।

5— त्रिस्तरीय पंचायतों के विकास योजनाओं हेतु निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं तथा बच्चों को हिस्सा बनाने हेतु पंचायतें निम्न बिन्दुओं को मुख्यतः महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, महिला कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सुनिश्चित कर सकती हैः–

1. महिला तथा बाल सभा में चयनित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की शत्–प्रतिशत् भागीदारी के साथ–साथ पोषण अभियान के कम–से–कम 50 प्रतिशत लाभार्थियों को आमंत्रित करना।
2. महिला तथा बाल सभा में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आई0सी0डी0एस0, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिभाग किया जाना।
3. महिला एवं बाल सभा संबंधी पंचायत के "संकल्प" (Resolution) पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा संबंधित गतिविधियों को जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करना।
4. महिला सभा में स्वयं सहायता समूहों की शत्–प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित करना तथा पंचायत समितियों की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित करना।

6— उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज अधिनियम में प्राविधानित न्यूनतम 02 ग्राम सभाओं के आयोजन से पूर्व तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले "जन योजना अभियान" (दिनांक 02 अक्तूबर से 31 जनवरी) के मध्य आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, इस प्रकार से न्यूनतम 03 ग्राम सभा से पूर्व प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में महिला सभा तथा बाल सभा का निर्देशानुसार नियोजन एवं आयोजन

सुनिश्चित करने हेतु स्वयं के स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः—यथोक्त।</u>

1. **<u>महिला सभा का संलग्नक—01 है।</u>**
2. **<u>बाल सभा का संलग्नक—02 है।</u>**

भवदीय,

2.12.22

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक— तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>

1— सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2— स्टाफ अफसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6— समस्त मंडलीय उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।
7— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)

विशेष सचिव।

Del/d/SarveshGO

संलग्नक–01

–: महिला सभा के आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश :–

1.	**महिला सभा**	• ग्राम सभा की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी महिलाएं महिला सभा की सदस्य होंगी। • महिला सभा की सहजकर्ता के रूप मे पंचायत द्वारा सभी महिला पंचायत सदस्य नामित होंगी। • सभा संबंधी अभिलेख/प्रस्ताव तैयार करने और आयोजन का दायित्व प्रधान एवं पंचायत सचिव का होगा। सहायक की अनुपस्थिति मे पंचायत सचिव यह दायित्व पूरा करेंगे। • वर्ष में प्राविधानित न्यूनतम 02 ग्राम सभा की बैठकों से पूर्व 02 महिला सभा तथा उसके अतिरिक्त 02 अर्थात कुल 04 महिला सभा का आयोजन किया जायेगा।
2.	**महिला सभा का आयोजन**	1. प्रत्येक ग्राम सभा से 15 दिवस पूर्व महिला सभा का आयोजन आरंभ होगा। इन 15 दिनों में ग्राम पंचायत मे स्थित सभी वार्डों मे चरणों में महिला सभा का आयोजन किया जा सकता है जिससे सभी क्षेत्रों की महिलाएं प्रतिभाग कर सकें। वार्डवार महिला सभा के आयोजन का दायित्व वार्ड सदस्यों का होगा। 2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला सभाओं का आयोजन 'कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन' (Community Resource Persons- CRPs) जैसे– आँगनवाड़ी, आशा, समूह सखी, जीविका ग्राम संगठन (VO) अध्यक्ष, पानी समिति की महिला सदस्य तथा एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife-ANM) के सहयोग से किया जाएगा। 3. महिला सभा का आयोजन पंचायत भवन परिसर में या अन्य सुरक्षित सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जा सकता है जहॉ सभी महिलायें आसानी से आ सकें। 4. आयोजन स्थल पर शुद्ध पेयजल एवं कार्यपरक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य है। 5. सभा के आयोजन पर राज्य वित्त के प्रशासनिक मद की धनराशि से व्यय किया जा सकता है। 6. महिला सभा के आयोजन का समय महिलाओं की सुलभता के अनुरूप ही निर्धारित हो जिससे सभी प्रतिभाग कर सकें। 7. बैठक की घोषणा/जानकारी निर्धारित तिथि से 5 दिन पूर्व महिला सभा को सामूहिक रूप से दी जाएगी। 8. सूचना प्रसारण के लिए स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा, मुनादी, सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर, डिजिटल संदेश, आदि के माध्यम से दी जा सकती है।
3.	**उपस्थिति**	• महिला सभा में ग्राम सभा की कुल महिला वोटरों की न्यूनतम 20 प्रतिशत की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। • सभी महिला सभाओं मे स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता अवश्य सुनिश्चित की जाये। • प्रत्येक महिला सभा में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव व पंचायत सहायक द्वारा अवश्य से प्रतिभाग किया जाये। • बैठक उपरान्त चिन्हित मुद्दों को कार्यवृत्त में सम्मिलित करने तथा कार्यवृत्त को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करने का दायित्व सचिव का होगा।
4.	**महिला सभा के लाभ**	• समुदाय को महिलाओं से संबंधित मुद्दों को पहचानना आसान हो जायेगा। • महिला सशक्तिकरण तथा उन्हें स्वयं को व्यक्त करने, अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को कहने हेतु मंच मिलेगा। • ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी/उपस्थिति बढ़ेगी। • पंचायत महिला हितैषी पंचायत बनेगी। • पंचायत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु योग्य बनेगी तथा अन्य पंचायतों के लिये उदाहरण बनेंगी।

5. महिला सभा काआयोजन तथा सभा का एजेन्डा

5.1. पहली महिला सभा– महिला अधिकार एवं सुरक्षा (माह मार्च– महिला दिवस (08 मार्च))

1.	महिला सभाके आयोजन एवं सभी महिलाओं की सहभागिता की आवश्यकता व लाभ पर चर्चा तथा वर्तमान में महिलाओं एवं बालिकाओं के समस्याओं संबंधी मुद्दों पर चर्चा।
2.	महिलाओं के विषय/मुद्दों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु टीम/समूह तैयार करना।
3.	महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, लिंग चयन/लिंग निर्धारण जाँच पर पाबंदी, लड़की के जन्म को समारोह के रूप में मनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। (लड़की के जन्म पर परिवार उसके नाम से 111 पौधे लगाये)तथा सभी परिवारों को घर के नामपट्ट पर घर की महिला सदस्य का नाम भी अंकित करने के लिए प्रेरित करना।
4.	यौन शोषण के विरुद्ध कानून के प्रति सजगता व स्थानीय पुलिस थाने से महिला प्रतिनिधि को जागरूकता हेतु सभा में आमंत्रित करना तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका से संबंधित विषयों पर चर्चा करना।
5.	गाँव मे महिला दिवस का आयोजन किया जाए जिसमे ग्राम प्रधान की अगुवाई मे सभी स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सहभागिता हेतु जन अभियान आयोजित करना।
6.	आयोजन में मुख्य योजनाओं के लाभार्थियों (पेंशन–विधवा,वृद्धा,दिव्यांग), जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, कन्या विद्याधन योजना) को विशेष रूप से आमंत्रित करना तथा इन योजनाओं की पात्रता पर चर्चा एवं जागरूकता।
7.	उत्कृष्ट महिला कृषक जिसने कृषि क्षेत्र मे अग्रिम सफलता प्राप्त की हो उन्हें सम्मानित करना।
	ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करना – ✓ जिन्होंने दो बेटियों के बाद परिवार को नहीं बढ़ाया। ✓ जिन्होंने लिंग आधारित रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ कर बेटियों की प्रगति मे सहयोग किया । ✓ जो अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाते हैं । ✓ जिनकी बेटियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ✓ जिन्होंने लड़कियों को समान अधिकार देते हुए मृत्यु समारोह मे बलिकायों/ महिलाओं की भागीदारी के लिए सहमत हैं।
8.	'आंगनवाड़ी पति नहीं, अध्यापिका पति नहीं तो प्रधान–पति क्यों? इस व्यवस्था के विरुद्ध जागरूकता और चर्चा , ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने लिये महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर चर्चा करना।
9.	बाल विवाह एवं बाल श्रम पर पाबंदी, लिंग–चयन पर पाबंदी,महिलाओं तथा लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने, 'दहेज लेना या देना एक अपराध है', बेटा या बेटी, दोनों को जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रगति के समान अवसर एवं सम्मान '– इसपर जागरूकता हेतु चर्चा।
	(नोट– इस माह की बैठक मे विशेष रूप से स्थानीय थाने से महिला पुलिस कर्मी, श्रम विभाग से प्रतिनिधि, ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदयों को आमंत्रित किया जाए)

5.2. दूसरी महिला सभा–शिक्षा व कौशल तथा स्वास्थ्य (माह जुलाई–अगस्त)

1.	प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों तथा प्रगति पर चर्चा।
	विद्यालय न जाने वाले बच्चों को शिक्षा पूरी कराने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना। जिन बालिकाओं/बालकों ने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना एवं छात्रवृत्ती योजनाओं की जानकारी देना।
2.	प्रत्येक लड़की को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करने और उनके लिये घर तथा स्कूल में सुरक्षित माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रोत्साहित करना।
3.	मानरेगा की वार्षिक योजना के संबंध मे, कौशल विकास के अवसर एवं योजनाओं पर जानकारी देना।
4.	स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर, कार्यात्मक शिक्षा, बैंक लिंकेज व व्यवसाय से संबंधित जानकारी एवं कार्ययोजना तय करना।
5.	कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे–केयर की सुविधा पर चर्चा।
6.	शत्प्रतिशत् जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए चर्चा व जागरूकता।
7.	सम्पूर्ण टीकाकरण से छूटे बच्चों के परिवारों को चिन्हित कर उन्हे टीकाकरण के लिए प्रेरित करना और सभी बच्चों के शत्प्रतिशत् टीकाकरण हेतु जागरूकता करना।

8.	ग्राम स्वास्थ्य योजना के संबंध मे चर्चा करना एवं आवश्यताओं की पहचान करना।
9.	बालिकाओं के खेलने के लिए सुरक्षित मैदान या खेल सामग्री सुनिश्चित करना और लड़कियों की विशिष्ट खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
10.	ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) को प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा।
11.	संचारी बीमारियों से बचाव तथा उपायों पर चर्चा एवं जागरूकता करना।
12.	जनसंख्या नियोजन की आवश्यकता पर चर्चा एवं जागरूकता ।
13.	वृद्धजनों की देखभाल हेतु सामुदायिक स्तर पर व्यवस्था पर चर्चा।
(नोट– इस माह की बैठक मे विशेष रूप से विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति के सदस्यों को को आमंत्रित किया जाए)	

5.3तीसरी महिला सभा– आवश्यकताओं व समस्याओं की पहचान व पोषण (जन योजना अभियान के दौरान माह अक्तूबर–नवम्बर)

1.	समस्याओं और आवश्यकताओं की सूची तैयार करना तथा प्राथमिकता के आधार पर उन मुद्दों की सूची तैयार करना जिन्हें ग्राम सभा में जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत करना है।
2.	ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा सुनिश्चित करने पर चर्चा।
3.	**पोषण माह/पोषण पंचायत–** कुपोषित, कम वजन, बौनापन (Stunted), और कमजोर बच्चे जिनकी पहचान आंगनबाड़ी द्वारा की गई है उन परिवारों को जागरूक कर कुपोषण के निदान हेतु सहयोग प्रदान करना और पोषण वाटिका के लिए प्रोत्साहित करना।
4.	मध्याहन भोजन की निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महिला समूह द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन का समय–समय पर निरीक्षण करने तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति के साथ समन्वय स्थापित करने पर चर्चा।
5.	पोषाहार के लाभार्थियों को नियमित एवं पर्याप्त पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने हेतु रणनीति तैयार करना।
6.	पोषण सुनिश्चित करने में समस्याओं पर चर्चा जैसेः– ✓ पोषण के संबंध मे समझ की कमी। ✓ पोषण हेतु निर्णय मे परिवार के दायित्व। ✓ गुणवत्तापूर्ण भोजन व पोषण हेतुपरिवार के सभी सदस्यों (सभी पुरुष व महिला सदस्य) की सामूहिक जवाबदारी। ✓ परिवार मे सभी (महिला, पुरुष, बालक–बालिका) को साथ भोजन करने के व्यवहार को प्रोत्साहन देना।
7.	सभी महिलाओं के लिये प्रसवपूर्व देखभाल और नवजात शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये जन्म के बाद पहले 1000 दिनों तक स्तनपान करने कर चर्चा।
8.	पोषण दिवस में सभी गर्भवती महिलाओं, माताओं, किशोरियों की नियमित सहभागिता हेतु जागरूक करना एवं पोषण दिवस के आयोजन के लिए आवश्यकताओं की पहचान करना।
9.	किशोरी स्वास्थ्य, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा महिलाओं के लिये समान अवसर जैसे विषयों पर विचार–विमर्श करना।
(नोट– इस माह की बैठक में समस्त महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ–साथ विशेष रूप से गर्भवती/धात्री महिलाओं व कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए)	

6. महिला–सभा की बैठकों के नियमित आयोजन एवं संचालन हेतु विभागीय दायित्व–

1.	पंचायती राज विभाग	ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सभा के आयोजन की सामूहिक घोषणा।
		महिला सभा का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना।
		निर्धारित माह में आयोजित महिला सभा मे मुद्दों पर आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पहचान करना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
		खंड स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों में महिला सभा वार्षिक कैलंडर तैयार करना एवं सभी विभागों को सूचित करना।
		पंचायत सचिव द्वारा नियमित रूप से महिला सभा की बैठकों की कार्यवाही प्रलेखन एवं अनुश्रवण करना।

		महिला सभा में तय की गई आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना से जोड़ना।
2.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन	मार्च माह की महिला सभा में प्रत्येक पंचायत में स्वयं सहायता समूहों की क्षमता विकास एवं रोजगार संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना एवं नियमित सहयोग व अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
		जिन पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के गठन की आवश्यकता/संभावना है उन पंचायतों मे प्राथमिकता के आधार पर समूहों का गठन सुनिश्चित करना।
		समूह की नियमित बैठकों में महिला सभा में सहभागिता हेतु चर्चा एवं प्रेरित करना।
3.	महिला एवं बाल विकास	स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर महिला–सभा बैठक में ग्राम स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकत्री का सहयोग सुनिश्चित करना।
		पोषण माह में सभागिता हेतु जन जागरूकता में सहयोग सुनिश्चित करना।
		महिला सभाओं में सूचना एवं संचार सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।
		कुपोषित बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सहयोग।
		आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में बाल सभा का सहयोग सुनिश्चित करना।
		सभीआंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने मे पंचायतों का सहयोग करना।
4.	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर महिला–सभा बैठक में ग्राम स्तर से आशा व एएनएम का सहयोग सुनिश्चित करना।
		सितंबर माह में ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने हेतु ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण समिति एवं ग्राम पंचायत स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति को सहयोग प्रदान करना।
		टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की पहचान एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता मे सहयोग सुनिश्चित करना।

23/11/2022

23.11.2022

संलग्नक–02

बाल सभा के गठन तथा आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश :–

1. बाल–सभा का गठन

ग्राम पंचायत में 11 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में से प्रत्येक वार्ड से 2 बाल सदस्य (एक बालक एवं एक बालिका) पंचायत द्वारा चयनित किये जायेगें एवं सभी नामित बच्चों द्वारा एक बाल–सभा अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे (दोनों पदों मे एक बालिका एवं एक बालक अवश्य हों)। चयनित बाल–सभा सदस्यों, बाल–सभा उपाध्यक्ष एवं बाल–सभा अध्यक्ष से मिलकर "**बाल–सभा**" का गठन होगा।

यह बाल–सभा गठन की प्रक्रिया सभी पंचायतों मे 02 सप्ताह के अभियान दिनांक 14 नवम्बर (बाल दिवस) से 27 नवम्बर, 2022 तक मनाया जाए और 27 नवम्बर, 2022 तक बाल सभा का गठन सुनिश्चित किया जाए।

कार्यकाल	01 वर्ष
योग्यता	• उम्र 11 वर्ष या उससे अधिक एवं 18 वर्ष या उससे कम। • ग्राम पंचायत का निवासी। • बाल–सभा अध्यक्ष एवं बाल–सभा उपाध्यक्ष पदों के प्रत्याशी कक्षा 8 या उससे अधिक के होंगे जिनकी उम्र 18 या इससे कम हो।
बाल–सभा के गठन की प्रक्रिया	• बाल–सभा का गठन ग्राम पंचायत सदस्यों के संरक्षण में होगा। • गठन प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं अन्य (ग्राम प्रधान द्वारा नामित/आमंत्रित) सदस्यों से मिलकर प्रत्येक वार्ड से बाल–सभा सदस्य चुनेंगे। बाल–सभा के चयन के लिए पंचायत सदस्यों के साथ निम्नलिखित पदाधिकारियों/नागरिकों को अन्य सदस्य के रूप मे नामित किया जा सकता है। ✓ गाँव के सम्मानित व्यक्ति ✓ प्रधानाध्यापक/प्रभारी ✓ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती (वरिष्ठ) ✓ आशा (वरिष्ठ) ✓ पंचायत सचिव–पंचायत सहायक ✓ स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ✓ युवक दल के अध्यक्ष ✓ एन.जी.ओ. के सदस्य • यह समिति बाल–सभा के गठन एवं उसके नियमित सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। • प्रतिवर्ष, इस समिति का बाल–सभा के गठन हेतु अपना सहयोग देगी।
बाल–सभा का गठन एवं संरचना	• बाल–सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कक्षा 8 या इससे ऊपर के छात्र या छात्रा होंगे। • प्रत्येक बाल वार्ड–सदस्य, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों की संख्या के अनुपात में होंगे। • बाल–सभा मे 50 प्रतिशत सदस्य/पदाधिकारी बालिकाओं हेतु आरक्षित होंगी। • बाल–सभा सदस्य के रूप मे मंत्री एवं अन्य पदाधिकारीगण। • बाल–सभा के 7 मंत्रालय होंगे जिनका कार्य आगे उल्लेखित है। • सहजकर्ता/संरक्षक/सहायक– ग्राम पंचायत के नामित सदस्य। • एक शिक्षक/शिक्षिका (प्रधानाध्यापक द्वारा नामित) • प्रत्येक वार्ड से चयनित बालक एवं बालिका बाल–सभा सदस्य होंगे एवं निम्नलिखित 7 मंत्रालय के मंत्री नियोक्त किए जाएंगे– ○ शिक्षा मंत्री व उप–मंत्री ○ सुरक्षा मंत्री व उप–मंत्री ○ खेलकूद / सांस्कृतिक मंत्री व उप–मंत्री ○ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री व उप–मंत्री ○ खाद्य एवं पोषण मंत्री व उप–मंत्री

	○ योजना मंत्री व उप–मंत्री ○ संचार एवं प्रसार मंत्री व उप–मंत्री • मंत्रियों की नियुक्ति बाल–सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता मे, बाल–सभा की प्रथम बैठक में होगी। • बाल सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 50 प्रतिशत सदस्य प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में आमंत्रित हों। **नोट–** • अन्य सदस्य आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों की अपेक्षानुसार सहायता करेंगे। • बाल–सभा के गठन में 50 प्रतिशत बालिकाएं होंगी। • अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से कोई एक बालिका होगी।

2. बाल सभा की बैठक

- 27 नवंबर 2022 को बाल–सभा की पहली बैठक ग्राम पंचायत के संरक्षण मे आयोजित की जाएगी।
- बाल–सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी प्रधान एवं सचिव की होगी।
- बैठक में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिये जायेंगे।
- बैठक की कार्यवाही बाल–सभा कार्यवाही रजिस्टर **(प्रारूप 1 संलग्न)** मे संचार एवं प्रसार मंत्री/उपमंत्री द्वारा लिखी जाएगी।
- ग्राम पंचायत की बैठक में बाल–सभा की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार संज्ञान लिया जाएगा।

3. बाल सभा की बैठक की तैयारी

- आगामी बैठक का एजेंडा एक सप्ताह पूर्व, बाल–सभा एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।
- एजेंडा के अनुसार पंचायत आवश्यक आमंत्रियों को सूचना एवं आमंत्रण एक सप्ताह पूर्व संबंधित विभाग को भेजेगी।
- बाल सभा की बैठक की कार्यवाही प्रारूप 1 (संलग्न) मे कार्यवाही रजिस्टर में प्रधान/सचिव द्वारा लिखी जाएगी
- बाल–सभा यह सुनिश्चित करेगी कि बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों (अभिभावक, किशोर, किशोरियों), संबंधित समितियों, शिक्षकों को 5 दिन पूर्व मुनादी या चस्पा कर प्रसारित हो।
- समिति आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। पंचायत भवन या विद्यालय के प्रांगण मे सभा का आयोजन हो जहां पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुलभ हो।

4. बाल सभा का आयोजन

- सूचना प्रसारण– 5 दिन पूर्व
- वर्ष मे 4 बार
  - ○ पहली बैठक– 27 नवंबर
  - ○ दूसरी बैठक– जनवरी 24–बालिका दिवस/शिक्षा दिवस
  - ○ तीसरी बैठक– 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस
  - ○ चौथी बैठक– 29 अगस्त– खेल दिवस
  - ○ अवधि– एजेन्डा के अनुसार
- आवश्यक विभागीय प्रतिनिधियों के आमंत्रण हेतु विभाग को 7 दिन पहले पंचायत द्वारा सूचित किया जायेगा।

5. बाल सभा में उपस्थिति –

बाल–सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य है तो 10 की उपस्थिति आवश्यक होगी।

6. नए सदस्य का चयन–

बाल सभा अध्यक्ष, बाल–सभा उपाध्यक्ष या बाल सभा के सदस्य यदि दायित्व निर्वहन मे असमर्थ हों, तो ग्राम पंचायत बाल सभा के गठन के 4 माह बाद, अन्य बाल–सभा सदस्यों की सहमति से नए सदस्य को चुन सकते हैं ।

7. बाल–सभा की घोषणा

बाल–सभा एक नई प्रणाली के रूप मे स्थापित होगी अतः यह आवश्यक है की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी विधिवत सूचना प्रसारित हो। इसके लिए 14 नवम्बर (बाल दिवस) से 27 नवम्बर, 2022 के मध्य ग्राम प्रधान द्वारा बाल–सभा के गठन की घोषणा की जायेगी।

14 नवम्बर (बाल दिवस) से 27 नवम्बर, 2022 के दौरान बाल सभा संबंधित घोषणा का एजेंडा–

1. ग्राम प्रधान का उद्‌बोधन
2. बाल–सभा गाँव के उद्देश्य को ग्राम प्रधान समुदाय को बताएं
3. ग्राम प्रधान बाल–सभा के गठन की घोषणा करें
4. बाल–सभा के उद्देश्य, सदस्य एवं उनके निर्धारित कार्य बताएं

8. वित्तीय स्रोत

बाल सभा की बैठक के आयोजन पर राज्य वित्त के प्रशासनिक मद की धनराशि से व्यय किया जा सकता है ।

9. प्रथम बाल सभा का आयोजन

27 नवम्बर, 2022 को प्रथम बाल–सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाए। प्रथम बाल–सभा की अध्यक्षता बाल–सभा अध्यक्ष द्वारा ग्राम प्रधान के सहयोग से किया जाएगा। प्रथम बाल सभा के आयोजन से पूर्व सभी बाल–सभा सदस्यों को प्रथम बाल–सभा हेतु प्रशिक्षित करना ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का दायित्व होगा।

10. प्रथम बाल–सभा का एजेंडा

सभी निर्वाचित बाल–सभा सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो

1. ग्राम प्रधान द्वारा स्वागत एवं उद्‌बोधन एवं बाल–सभा सदस्यों का परिचय।
2. समुदाय में बाल–सभा के गठन एवं उनके मुख्य दायित्वों की औपचारिक घोषणा।
3. बाल–सभा के विभिन्न मंत्रालयों के चयनित मंत्रियों की घोषणा।
4. आगामी कार्ययोजना पर चर्चा– बाल–विकास से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख कार्य– बजट सहित– लागत, बिना लागत एवं कम लागत के कार्य। निम्न बिन्दुओं पर बच्चों चर्चा कर उनके विचार व आवश्यकताओं की सूची तैयार करना:–

शिक्षा (नामांकन, भवन, पढ़ाई, गुणवत्ता, बच्चों का ठहराव)	**स्वास्थ्य** (टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, जानकारियॉ, स्वास्थ्य कैम्प आदि)	**खेलकूद** (खेल का मैदान, खेल सामग्री, अवसरों तक पहुँच आदि)	**पोषण** (पोषण, आहार, आंगनबाड़ी, पोषण वाटिका, मध्याहन् भोजन आदि)	**भागीदारी** (विकास पर चर्चा, निर्णयों में भागीदारी आदि)
संसाधन (शौचालय, सेवायें, पेयजल, विद्यालय, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट आदि)	**पुस्तकालय** (गॉव में पुस्तकालय, बच्चों की पहुँच, बालसंबद्ध पुस्तकें आदि)	**सुविधायें** (यातायात, बस, स्वास्थ्य केन्द्र, बाज़ार, बाल संदर्भ केन्द्र, आंगनबाड़ी आदि)	**चुनौतियॉ / खतरे** (असुरक्षित वातावरण, छेड़छाड़, हिंसा, शिक्षकों का अभाव, बाल विवाह, बाल श्रम, अपहरण, अपराध आदि)	**भविष्य** (कैरियर चर्चा, वैकल्पिक शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता आदि)

5. बाल–सभा अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।
6. समापन।

11. बाल–सभा एवं ग्राम पंचायत में समन्वय

- ग्राम पंचायत के द्वारा बाल–सभा को मान्यता दी जायेगी
- ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में बाल मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए बाल–सभा प्रतिनिधि को बैठक में शामिल किया जायेगा।
- बाल मुददों पर निर्णय लेने से पूर्व बाल–सभा से विचार विमर्श किया जायेगा
- बाल–सभा के सदस्यों को सम्मान दिया जायेगा
- बाल–सभा की राय को महत्व दिया जायेगा।

12. बाल–सभा के कार्य एवं दायित्व

- 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण एवं नामांकन में सहयोग करना।
- मध्याहन भोजन की देखरेख करना/मीनू के अनुसार भोजन बने यह सुनिश्चित करना।
- विद्यालय परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- सभी 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों का विद्यालय मे। नामांकन सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता।
- समय–समय पर खेलकूद/यात्रा/सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पंचायत के साथ मिलकर आयोजन करना।
- बालक/बालिकाओं की सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी के संबंध में पंचायत से चर्चा करना।
- बाल अधिकारों को पंचायत के साथ साझा करना।
- जीवन जीने का अधिकार सम्बन्धी मुददों को पंचायत के साथ साझा करना।
- सहभागिता सुनिश्चित करना– अर्थात बालक/बालिकाओं के हित से जुड़े मुददे के लिए ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के माध्यम से उठाना/भागीदारी करना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर कार्यवाही/निदान के लिए अनुरोध करना।

12.1. बाल–सभा अध्यक्ष के कार्य

- बाल–सभा की प्रत्येक माह किसी एक रविवार के दिन बैठक बुलाना।
- बाल–सभा की अध्यक्षता करना।
- बाल–सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को पंचायत के संज्ञान में लाना एवं उसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए तत्पर रहना।
- बाल–सभा के अन्य मंत्रियों/कर्मियों को अपने–अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रेरित करना।
- आवश्यकता पड़ने पर अन्य कर्मियों के समक्ष अपनी बातों को लाना।
- प्रधान या प्रधान द्वारा नामित किसी ग्राम पंचायत सदस्य के साथ मिलकर थाना, कोर्ट, सरकारी अस्पताल आदि में चल रहे कार्यों को समझना।

12.2. उपाध्यक्ष के कार्य

- अध्यक्ष का उसके कार्यों में सहयोग करना
- आवश्यकता पड़ने पर या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसके कार्यों का सम्पादन करना।

12.3. अन्य सदस्यों के दायित्व

1.	**शिक्षा मंत्री के कार्य**	❖ बालक/बालिकाओं के नामांकन तथा उन्हें प्रतिदिन स्कूल आने के लिये प्रेरित करना। ❖ विद्यालय परिसर में साफ–सफाई एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना। ❖ महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाना। ❖ विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में सहभागिता करना एवं शिक्षा से सम्बन्धित कार्यो/समस्याओं एवं लगातार अनुपस्थित बच्चों को उनके

		संज्ञान में लाना। ❖ पुस्तकालय की सुव्यवस्था में सहयोग एवं बच्चों को उसके उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
2.	**सुरक्षा मंत्री के कार्य**	❖ बालकों के शोषण, हिंसा, अत्याचार, बाल श्रम आदि से सम्बन्धित समस्याओं को बाल–सभा की बैठक में उठाना एवं पंचायत में रखना। ❖ हेल्पलाइन नं0, पुलिस बाल संरक्षण अधिकारी का नम्बर अपने पास रखना एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग करना। ❖ अध्यक्ष की सहमति से ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के साथ तालमेल बनाये रखना।
3.	**खेलकूद एवं सांस्कृतिक मंत्री के कार्य**	❖ समय समय पर खेलों का आयोजन करना। ❖ सांस्कृतिक कार्यों के प्रबन्धन, आयोजन में पंचायत का सहयोग करना। ❖ योगा/फिट इण्डिया मूवमेंट के माध्यम से बालक/बालिकाओं में जागरूकता लाना।
4.	**स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री के कार्य**	❖ बच्चों के टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच एवं योजनाओं के लाभ के लिए जागरूकता में पंचायत का सहयोग। ❖ ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए जागरूकता कार्यक्रम हेतु पंचायत का समय–समय पर प्रेरित करना। ❖ वीएचएसएनडी (पोषण दिवस) के आयोजन में सहयोग, जागरूकता व सक्रिय सहभागिता करना।
5.	**खाद्य एवं पोषण मंत्री के कार्य**	❖ कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए पंचायत का सहयोग। ❖ पोषण वाटिका निर्माण हेतु समुदाय को प्रेरित करना। ❖ परिवारों को किचन गार्डन बनाने हेतु प्रेरित करना।
6.	**योजना मंत्री के कार्य**	❖ ग्राम पंचायत की योजना में बच्चो से जुड़े मुददे को शामिल कराना। ❖ बाल सभा के आयोजन हेतु पंचायत को प्रेरित एवं सहायता करना। ❖ विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा बनायी गयी विद्यालय विकास योजना मे सहयोग करना।
7.	**सम्पर्क मंत्री का कार्य**	❖ बाल–सभा के कार्यों से पंचायतध्ग्राम सभा को अवगत कराना ❖ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के कार्यों से बाल–सभा को अवगत कराना ❖ बालक/बालिकाओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जागरूकता सुनिश्चित करना
8.	**बाल–सभा के अन्य सदस्यों के कार्य**	
	❖ बाल–सभा एवं बाल सभा की बैठक की वर्णमाला के अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना/कार्यवाही लिखना। ❖ अगर कोई मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उसके कार्यभार को देखना। ❖ बाल–सभा की बैठक में बाल सभा के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। ❖ पुस्तकालय की व्यवस्था देखना। ❖ बालकों से संबंधित समस्याओ, जरूरतों, आवश्यकताओ, एवं मुद्दों की सूची बनाकर बाल बाल–सभा को उपलब्ध करांना।	

13. बाल सभा की बैठक में प्रतिभागिता

- ग्राम प्रधान (संरक्षक)
- बाल सभा अध्यक्ष एवं सदस्यगण
- ग्राम पंचायत के सदस्य (सहयोगी)
- छोटे बच्चों, किशोर–किशोरियों के अभिभावक
- किशोर एवं किशोरियाँ (40 प्रतिशत किशोरिया)
- विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापकगण

- ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदस्य
- आमंत्री–ICDS प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
- अंगनबाड़ी, आशा, ए0एन0एम0
- नजदीकी थाने का पुलिस कर्मी
- युवा दल के सदस्य

14. बाल–सभा के एजेंडा (सभावित मुख्य मुद्दे)

बाल सभाके अध्यक्ष की अनुमति से सहजकर्ता/सचिव आज की बैठक का अजेंडा सभा को पढ़कर सुनाएंगे। निम्नलिखित मुद्दों पर ग्राम पंचायत के सहयोग जैसे जागरूकता गतिविधियों हेतु बाल सभा के दायित्वों पर चर्चा हो।

शिक्षा	✓ सभी बच्चों का स्कूल मे नामांकन ✓ बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु प्रयास ✓ स्कूल मे आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल एवं स्वच्छता और मध्यान भोजन की गुणवत्ता ✓ कोविड के कारण शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव के समाधान में सहयोग ✓ जिन बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है उनके लिए शिक्षा पूरी करने हेतु सुविधा/सहयोग
स्वास्थ्य	✓ सभी सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता ✓ सार्वजनिक स्थानों पर नियमित स्वच्छता ✓ कूड़ा या हानिकारक पदार्थ के निस्तारण की सुरक्षित व्यवस्था ✓ नियमित टीकाकरण हेतु जागरूकता एवं छूटे हुए बच्चों की पहचान
सुरक्षा	✓ बाल श्रम, बाल विवाह, बाल हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों के रोकथाम हेतु कार्यवाही/हेल्पलाइन जागरूकता ✓ पुलिस प्रतिनिधि द्वारा अभिभावकों को सुरक्षाध्सहयोगध्रोकथाम हेतु कानून व्यवस्था की जानकारी ✓ अनाथ बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु सामूहिक निर्णयध्प्रयास ✓ जिले से बाहर रह कर पड़ने वाले बच्चों का आंकड़ा तैयार करना जिससे की आपातकाल की स्थिति मे समय से सहयोग सुनिश्चित हो सके ✓ गाँव मे सड़क दुर्घटनाओं/मानव–जनित हादसों की संभावनाओं की पहचान एवं उनको समाप्त करने के उपाये ✓ मेले/त्योहारों मे बच्चों को तस्करी से सुरक्षित रखने हेतु जन जागरूकता एवं ठोस कार्यवाही
पोषण	✓ आंगनबाड़ी के सहयोग से कुपोषित, कम वजन, आदि बच्चों पहचानकर उनके अभिभावकों को पोषण से प्रति जागरूक करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मदद करना ✓ पोषाहार की नियमित उपलब्धता एवं वितरणके कार्य में आंगनबाड़ी का सहयोग करना ✓ पोषण दिवस आयोजन पर सभी पात्र लाभार्थी की भागीदारी में आंगनबाड़ी का सहयोग करना ✓ उचित पोषण हेतु विद्यालय मे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
बाल विकास	✓ आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था एवं आवश्यकताएं पर बाल सभा में चर्चा ✓ आंगनबाड़ी मे 6 साल तक के सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित होइसके लिए बाल सभा में चर्चा तथा आंगनबाड़ी का सहयोग करना। ✓ छोटे बच्चों के खेलने की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत से मांग करना ✓ गाँव मे बच्चों के खेल मोहोत्सव/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ✓ बच्चों को सामुदायिक स्वयं सहायता/स्वेच्छिक कार्यों से जोड़ना जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम आदि

15. बैठक की कार्यवाही

❖ बाल सभा अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन।

- ❖ सचिव/सहजकार्ता (उप बाल–प्रधान) एक–एक कर प्रत्येक एजेंडा पढ़ेगें।
- ❖ उप–प्रधान तय व्यक्ति को आमंत्रित कर चर्चा को आरंभ करें।
- ❖ क्रमवार सभी एजेंडा पूर्ण होने पर सहजकर्ता सामूहिक प्रश्न आमंत्रित करें।
- ❖ सभासद/ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा प्रश्नों का समाधान हो और छूटे हुए प्रश्नों को सहजकर्ता कार्यवाही रजिस्टर मे लिख लें। (प्रारूप 1 संलग्न)
- ❖ बाल–सभा अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।
- ❖ समापन।
- ❖ बाल–सभा की बैठकों के नियमित आयोजन एवं संचालन हेतु विभागीय दायित्व–

पंचायती राज विभाग	✓ ग्राम पंचायत स्तर पर बाल सभा के सदस्यों का चयन। ✓ बाल सभा का गठन सुनिश्चित करना। ✓ बाल सभा मे चयनित बच्चों का प्रशिक्षण आयोजित करना। ✓ नियमित रूप से बाल सह की बैठकों का आयोजन, कार्यवाही प्रलेखन एवं अनुश्रवण करना
शिक्षा विभाग	✓ बाल सभा के सदस्यों के चयन एवं बाल सभा के गठन मे पंचायत का सहयोग करना ✓ बाल सभा के सदस्यों के प्रशिक्षण मे पंचायत का सहयोग करना ✓ विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बाल सभा सदस्यों को सहयोग सुनिश्चित करना ✓ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रमों मे बाल सभा का सहयोग ✓ मिड–डे–मील की गुणवत्ता निगरानी मे बाल सभा का सहयोग करना
बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग(ICDS)	✓ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर बाल–सभा बैठक मे ग्राम स्तर से आंगनबाड़ीकार्यकत्री का सहयोग सुनिश्चित करना ✓ पोषण दिवस में सभागिता हेतु जन जागरूकता मे बाल सभा का सहयोग सुनिश्चित करना ✓ कुपोषित बच्चों के चिन्हिकरण हेतु सहयोग ✓ आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में बाल सभा का सहयोग सुनिश्चित करना ✓ टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की पहचान एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता मे सहयोग सुनिश्चित करना

प्रारूप– 01

बाल सभा
कार्यवाही रजिस्टर

ग्राम पंचायत :– .....

दिनांक : ..... दिवस : .....

वर्ष : ..... स्थान : .....

उपस्थित सभासद/आमन्त्री/बाल–सभा सदस्य

सं0	नाम	पद	हस्ताक्षर

एजेण्डा

एजेण्डा संख्या	एजेण्डा	वक्ता/एजेण्डा संचालनकर्ता का नाम	वक्ता/एजेण्डा संचालनकर्ता का पद

चर्चा के बिन्दु/निष्कर्ष/निर्णय			
एजेन्डा संख्या	चर्चा के बिन्दु	संबंधित सामूहिक प्रश्न	निष्कर्ष/निर्णय/समाधान

बाल–हितैषी पंचायत की विशेषता

- ❖ बच्चों की पंचायत तक आसानी से पहुँच होद्य बच्चों को पंचायत के हर निर्वाचित सदस्य की जानकारी हो।
- ❖ पंचायतों को अपने गांव में बच्चों के विकास के लिए नई योजना बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त हो।
- ❖ पंचायत अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को बच्चों के हितों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएं।
- ❖ पंचायतें अपने गांव स्तर पर ढांचे, जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल के मैदान, अच्छे शौचालय इत्यादि का निर्माण कराएं तथा उनका प्रयोग सुनिश्चित करें।
- ❖ गांव के निर्णय में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो।
- ❖ गांव का विकास बच्चों के नजरिए से हो।
- ❖ बच्चों की बातों को सुना जाए, उनकी राय को महत्व दिया जाए।
- ❖ बच्चों को अपने से संबंधित योजनाओ और उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे मे जानकारी हो।
- ❖ पंचायत मे बच्चों से संबंधित मामले के संबंध में उचित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित हो।
- ❖ गाँव के महत्वपूर्ण स्थानों पर आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों का बोर्ड लगा हो।

बाल–हितैषी पंचायत के लिए किए जाने वाले प्रयास

पंचायतें निम्न लिखित रणनीति बनाकर बच्चों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, ढांचागत विकास कर, बाल मित्र पंचायत की सकल्पना को साकार कर सकती है–

बच्चों के अनुकूल ढांचागत विकास

1. आंगनबाड़ी, विद्यालय और खेल का मैदान ग्राम पंचायत में ऐसी जगह पर हो जहां बच्चे बिना माता–पिता के सहयोग से आराम से आ जा सके।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्र की स्थापना ऐसी जगह पर हो जहां गर्भवती महिलाएं किशोरी लड़कियां एवं बच्चे आसानी से आ जा सके।
3. गांव में पीने के पानी के स्रोत, नालियों आदि को बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाये।
4. विद्यालय में शौचालय तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो तथा लड़कियों के लिए अलग से शौचालय, जो क्रियाशील हो।
5. विद्यालय में मध्याह्नभोजन मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन बने तथा बच्चों को परोसा जाए।

बच्चों से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था की निगरानी

1. पंचायत स्तर पर बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, बाल हिंसा को रोकने के प्रति लोगों में जागरूकता हो।
2. बच्चों को बेचने जैसी सामाजिक बुराइयां ना हो, बच्चों की खास कर लड़कियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

3. 14 साल तक के सभी बच्चों को काम पर न भेजकर, स्कूल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. बच्चों के साथ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए।
5. किशोरी बालिकाओं को उच्च शिक्षा पाने का अवसर प्रदान करना।
6. समुदाय के सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग शिक्षा को प्रोत्साहन दे।

बच्चों के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक वातावरण का निर्माण

1. पंचायत, बच्चों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराएंद्य प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करें, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े।
2. बच्चों के मानसिक विकास के लिए निबंध, दीवार लेखन तथा नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित हो।
3. समुदाय की गतिविधियों एवं आयोजनों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
4. बच्चों के लिए विद्यालयों में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जाए।
5. विद्यालयों के द्वारा बच्चों को उनके अधिकार के प्रति सजग और जागरूक बनाया जाए।

बाल अधिकार के प्रति सजग एवं जागरूक ग्राम सभा

1. ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के सदस्य बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हो तथा उस पर कार्यवाही की योजना बनाते हो।
2. ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं, पुरुषों की समान भागीदारी से महिलाएं बच्चों के अधिकारों को जान सके और बातचीत कर सकें।
3. ग्राम सभा द्वारा बच्चों को लाभ देने वाले सामाजिक नियम बनाने व लागू करने में लोगों की भागीदारी हो।
4. ग्राम सभा द्वारा बाल विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों की निगरानी हो।
5. ग्राम सभा में बच्चों के मुद्दे को प्राथमिकता दें एवं निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें।

बाल अधिकारों पर सक्रिय एवं जबाबदेह पंचायत

1. ग्राम पंचायत सदस्यों को बाल अधिकारों व बाल संरक्षण की जानकारी हो जैसे–
   - जीवन की रक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - संरक्षण का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार
2. ग्राम पंचायत स्तर पर बालसभा, बालवाड़ी एवं बाल–सभा गठित हो।
3. बच्चों को लिखित या मौखिक रूप में अपनी समस्याओं व मांगों को रखने की सुविधा प्राप्त हो।
4. पंचायत के स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति द्वारा पंचायत स्तर पर वंचित समुदाय के बच्चों के रणनीति बनाए एवं विकास कार्यों में उनके मुद्दे को शामिल करें।
5. पंचायत सदस्यों द्वारा बच्चों के विकास एवं संरक्षण से संबंधित कार्यों की निगरानी की जाए।